न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 327/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए
श्री धैर्य कड़वा पुत्र श्री कृष्ण कुमार कड़वा जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार कड़वा पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1— श्री सुनील कुमार टांडी वकील वादी
2— श्री प्रदीप कुमार — वकील प्रति सं. 1

निर्णय

दिनांक :— 27.11.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 आपस में सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एलएलडब्ल्यू की जमाबंदी सं. 2072—75 में 3.453है. में 2/3 हिस्सा व चक नं. 3 डीएलपी के जमाबंदी सं. 2073—76 खाता सं. 15/8 में 0.253है. में 1/2 हिस्सा चक नं. 3 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 80/10 में 0.506है. तथा इसी चक के खाता सं. 45/8 में 3.036है. व चक नं. 1 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 66/10 में 1.771है. व हनुमानगढ तहसील के चक नं. 2 के.के. डब्ल्यू के जमाबंदी सं. 2075 से 2078 खाता सं. 49/41 में 1.771है. में 1/3 हिस्सा व चक 1 के.के. डब्ल्यू के जमाबंदी 2075—78 के खाता सं. 66/49 में 1.012है. में 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनकी जमाबंदीया संलग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारानामा आपसी सहमति व रिष्तेदारों ने करवा दिया है। उक्त बंटवारानामा के रोज से ही वादी व प्रतिवादीगण बंटवारानामा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काष्त करते आ रहे है। कब्जा बाबंत आपस में कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का जो भी उक्त कृषि भूमि में विरास्तन हक व हिस्सा बनता था जिसका मौखिक रूप से हक त्याद वादी के पक्ष में कर दिया है।

वादी धैर्य कड़वा के हिस्सा में आई कृषि भूमिः—

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक नं.	खाता सं.	रकबा
3 एलएलडब्ल्यू	12/7	2.302 है
3 डीएलपी	15/8	0.1265है
3 एलएलडब्ल्यू	80/10	0.506है
3 एलएलडब्ल्यू	45/8	3.036है
1 एलएलडब्ल्यू	66/10	1.771है
2 केकेडब्ल्यू	49/41	0.590है
1 केकेडब्ल्यू	66/49	0.337है

वादी एवं प्रतिवादी का उक्त कृषि भूमि में जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पिता व वादी के दादा आत्माराम से विरास्तन प्राप्त हुई है। जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस मे घरू बंटवारामा कर लिया है। उक्त बंटवारानामा के अनुसार ही वादी वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काष्त करता आ रहा है। परन्तु उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम होने के कारण वादी के हक व हकूक पर बुरा प्रभाव पड रहा है तथा सदैव झगड़ा होने का अंदेषा बना रहता है, इसी कारण वादी उक्त कृषि भूमि पर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की घोषणा करवाना चाहता है। यह है कि वादी को उक्त कृषि भूमि अपने दादा स्व श्री आत्माराम से विरास्तन में प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी का जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारानामा हो चुका है व उसी के मुताबिक वादी काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काष्त करता आ रहा है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम होने के कारण वादी को भारी परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी अपने नाम की घोषणा करवाने कि एक मुस्त हक व दावेदार है। यह है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उन्हें वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित मध्य अनुसार कृषि भूमि का खातेदार काष्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे परन्तु कल उन्होंने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, बस यही कारण है। यह है कि वादी को उक्त कृषि भूमि का घरू बंटवारामा व कब्जा काष्त के मुताबिक वादी को खातेदार काष्तकार घोषित नहीं किया गया तो वादी को कभी न पुरा होने वाला नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नहीं आंकी जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। यह है कि प्रति सं. 2 व 3 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, उनसे सीधे रूप से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हे। यह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि उचित न्यायषुल्क पर प्रस्तुत है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर अर्ज है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि इस आश्य की घोषणा फरमाई जावे कि वादी की वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के पिता

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादी सं. 1 कृष्णकुमार कड़वा का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम अंकित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ विरास्तन साक्ष्य में चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 12/7 ज़माबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 3 डीएलपी खाता संख्या 15/8 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 80/10 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 45/8 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 66/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074,चक 2 केकेडब्ल्यु खाता संख्या 49/41 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, चक 1 केकेडब्ल्यु खाता संख्या 66/49 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 प्रति प्रस्तुत गई एवं इस न्यायालय प्रकरण संख्या 254/2022 अनवान कृष्ण कुमार कड़वा बनाम शैल कड़वा में पारित डिक्री दिनांक 29.08.2022 की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 12/7 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 3 डीएलपी खाता संख्या 15/8 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 80/10 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 45/8 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 66/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074,चक 2 केकेडब्ल्यु खाता संख्या 49/41 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, चक 1 केकेडब्ल्यु खाता संख्या 66/49 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में वादग्रस्त कृषि भूमि कृष्ण कुमार के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है। चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 12/7 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 3 डीएलपी खाता संख्या 15/8 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 80/10 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 45/8 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 66/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074,चक 2 केकेडब्ल्यु खाता संख्या 49/41 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, चक 1 केकेडब्ल्यु खाता संख्या 66/49 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 की वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 254/2022 अनवान कृष्ण कुमार कड़वा बनाम शैल कड़वा में पारित डिक्री दिनांक 29.08.2022 वाद पत्र में प्रस्तुत प्रति से विरास्तान साबित हो रही है। प्रतिवादी 1 ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाब दावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादी एवं प्रतिवादी ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 12/7 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 3 डीएलपी खाता संख्या 15/8 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 80/10 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 3 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 45/8 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 66/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074,चक 2 केकेडब्ल्यु खाता संख्या 49/41 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, चक 1 केकेडब्ल्यु खाता संख्या 66/49 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांगरिया